संदर्भ सं.राबैं.डीओआर/ 376 /ए1.जन/2023-24

परिपत्र सं.राबैं. 126 /डीओआर - 17 /2023

15 जून 2023

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा अस्थिर दर पर अतिरिक्त अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान–वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश @ अस्थायी दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 मई 2022 के हमारे परिपत्र सं.120 /डॉर-43/ 2022 का संदर्भ लें जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण हेतु राज्य सहकारी बैंकों को अतिरिक्त अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त की मंजूरी संबंधी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों अस्थिर दरों (फ्लोटिंग रेट्स) पर की गई थी.

2. समग्र परिचालन दिशानिर्देश कुछ संशोधनों के साथ मोटे तौर पर अनुबंध-I में दिये गए, के अनुसार रहेंगे. दिशानिर्देश परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. अतिरिक्त अल्पकालिन पुनर्वित्त के तहत स्वीकृत कुल सीमा अनुबंध-I के पैरा '4' के अनुसार होगी। एसटीसीबी जीएलसी की पात्र सीमा (एसटीसीआरसी निधि के तहत निकाली गई राशि सहित) होगी .

4. आप सभी पात्र (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों – त्रिस्तरीय संरचना में / राज्य सहकारी बैंक-द्विस्तरीय संरचना में) बैंकों हेतु अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमा की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा में उस राज्य के नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

5. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध हैं.

6. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं.

भवदीय

(वी के सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • **फ़ैक्स**: +91 22 26530090 • **ई मेल**: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

अनुबंध I

नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए अस्थिर दर पर अतिरिक्त अल्पावधि पुनर्वित्त का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नीति

1. अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) सीमा की परिचालन अवधि **01.04.2023 से 31.03.2024** तक होगी. अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त राज्य सहकारी बैंक को केवल इस परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋणों के लिए प्रदान किया जाएगा.

2. समेकित सीमा की मंजूरी

क. राज्य सहकारी बैंकों के लिए अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) की सीमा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की **धारा 21(1)(i)** के साथ पठित **धारा 21(4)** के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निष्पादित डीपीएन के समक्ष मंजूर की जाएगी

अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत इनके लिए एक समेकित सीमा निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी

i. 3 स्तरीय संरचना में पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को.

ii. 2 स्तरीय संरचना के मामले में पात्र राज्य सहकारी बैंकों को या कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को (जो पैक्स को वित्तपोषित करने की स्थिति में नहीं हैं).

ख. राज्य सहकारी बैंक को प्रत्येक आहरण के समय लिखित रूप में यह घोषित करना होता है कि आहारित राशि और पहले से प्राप्त पुनर्वित्त राशि राज्य सहकारी बैंक द्वारा पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को (3 स्तरीय संरचना में) / राज्य सहकारी बैंक के शाखाओं को (2 स्तरीय संरचना में) मौकृप के वित्तपोषण के लिए प्रदान किए गए ऋण के समक्ष हैं जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक शाखा स्तर पर पैक्स के समक्ष बकाया पर्याप्त गैर-अतिदेय ऋण से कवर किए गए हैं.

ग. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित टीपीएन (TPN) नाबार्ड के पक्ष में इंडोर्स किया जाना जारी रहेगा और राज्य सहकारी बैंक से अनुमोदित टीपीएन को नाबार्ड के एजेंट के रूप में अपने पास रखेगा.

3. राज्य सहकारी बैंक/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंड

3.1 लेखा परीक्षा

a. वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए थी और वित्तीय विवरणों के साथ संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए.

b. 2022-23 के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और 30.06.2023 तक उक्त से संबंधित रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए.

c. 30 जून 2023 तक पुनर्वित्त की मंजूरी और आहरण के लिए पात्रता मानदंड 31.03.2022 या 31.03.2023 (यदि 31.03.2023 तक लेखा परीक्षित स्थिति उपलब्ध है) के अनुसार उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगी. 01 जुलाई 2023 से पात्रता मानदंड 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगी.

d. 01.07.2023 को या उसके बाद केवल उन्हीं बैंकों को पुनर्वित्त की मंजूरी/ आहरण की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की है.

3.2 लाइसेंसिंग और सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन

सभी लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंक (अनुसूचित/ गैर अनुसूचित) और लाइसेंस प्राप्त जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीआरएआर शर्तों को पूरा करते हैं,जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है, वे अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

क. केवल 9% और उससे अधिक के **सीआरएआर** वाले राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पात्र होंगे.

ख. 9% और उससे अधिक के **सीआरएआर** वाले राज्य सहकारी बैंक लेकिन **9% से कम वाले एकल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक** के मामले में, ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ओर से **कोई ऋण सीमा** उपलब्ध **नहीं** होगी.

ग. 9% से कम सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक और **9% से अधिक सीआरएआर वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक** के मामले में, सरकारी गारंटी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों/अनुसूचित बैंकों की एफडीआर की गिरवी पर ऋण सीमा सीधे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को स्वीकृत की जाएगी. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को सीधे पुनर्वित्त प्रदान करने के मामले में, **दिनांक 09.09.2011 के हमारे परिपत्र संख्या 172** द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.

3.3 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक

ऊपर दिए गए सीआरएआर मानदंड को पूरा करने वाले गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा **21(3)(**ए) के तहत सरकारी गारंटी के समक्ष**,** या उपर्युक्त अधिनियम की धारा **21(2)(i)** के अनुसार सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियों की गिरवी के समक्ष (बैंककारी विनिमयन अधिनियम**,** 1949 की धारा 5(ए) में परिभाषित) और/ या उपर्युक्त अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखने के समक्ष ऋण सीमा की मंजूरी के लिए पात्र होंगे.

3.4 अनर्जक आस्तियों के लिए मानदंड

जिन बैंकों का निवल एनपीए, निवल ऋणों और बकाया अग्रिमों के 12% से अधिक नहीं होगा, वे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्य सहकारी बैंक के लिए निवल एनपीए मानदंड को निवल ऋण और बकाया अग्रिम का 15% रखा गया गया है.

3.4.1 राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की पात्रता के उद्देश्य से निवल एनपीए की स्थिति की गणना राज्य सहकारी बैंक**/** जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के शाखाओं के स्तर पर न करते हुए राज्य सहकारी बैंक स्तर पर की जाए.

3.4.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को सीधे पुनर्वित्त प्रदान करने के मामलों में भी**,**पात्रता के उद्देश्य से**,** निवल एनपीए स्थिति की गणना जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्तर पर ही की जाए न कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के शाखाओं के स्तर पर.

3.5 **सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में इंगित की गई **सीआरएआर और एनपीए की स्थिति** पात्रता का आधार बनेगी. हालांकि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, पात्रता निर्धारित करने के लिए नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट मान्य होगी. बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से यदि बैंक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है तो नाबार्ड पर्याप्त सुविधा /सुरक्षा के साथ कम पात्रता मानदंडों पर विचार कर सकता है.

4. पुनर्वित्त की मात्रा

पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों (द्विस्तरीय/ कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों) के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में मंजूरी के लिए पुनर्वित्त की मात्रा निम्नानुसार रहेगी:

4.1 सामान्य क्षेत्र के बैंको के लिए

राज्य सहकारी बैंक का निवल एनपीए	**पात्र सीमा**
6% तक	60%
6% से ऊपर और 10% तक	55%
10% से ऊपर और 12% तक	50%
12% से ऊपर	पात्र नहीं

4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित राज्य सहकारी बैंक निवल एनपीए में छूट के साथ 20% के अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

राज्य सहकारी बैंक का निवल एनपीए	**पात्र सीमा**
10% तक	80%
10% से ऊपर और 15% तक	75%
15% से ऊपर	पात्र नहीं

4.3. पूर्वी क्षेत्र अर्थात बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों (भारत सरकार की BGREI योजना के तहत) में स्थित राज्य सहकारी बैंक पुनर्वित्त की लागू सामान्य सीमा से 5% अधिक के अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे और उनके निवल एनपीए में भी निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

राज्य सहकारी बैंक का निवल एनपीए	**पात्र सीमा**
6% तक	65%
6% से ऊपर और 10% तक	60%
10% से ऊपर और 15% तक	55%
15% से ऊपर	पात्र नहीं

4.4 वर्ष 2023-24 के लिए आरएलपी पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित फसल ऋण में औसत वृद्धि दर (पिछले चार वर्षों में संवितरित फसल ऋणों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए) के आधार पर निकाला जा सकता है. हालांकि, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ऐसा आरएलपी स्वीकार कर सकता है जो राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित आरएलपी से कम या अधिक हो सकता है.

4.5. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक आधार स्तरीय ऋण से अपनी पात्रता के अनुसार पात्र राशि (एसटीसीआरसी निधि के अंतर्गत आहारित राशि को शामिल करते हुए) आहारित कर सकते हैं.

4.6. यह ऋण सीमा किसान के स्तर पर जारी केवल ₹3 लाख तक के फसल ऋण के लिए उपलब्ध होगी.

4.7. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्वित्त को बैंक के अपनी निधि माना जाएगा . ब्याज सहायता भारत सरकार के 2023-24 के लिए मौजूदा ब्याज सहायता योजना दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगा .

4.8 इन जिलों में ऋण उपलब्धता को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा विशेष प्रयास किए जा सकते हैं.

5. पुनर्वित्त पर ब्याज की दर

5.1 अस्थिर दर:

क) ब्याज़ की दर बाजार द्वारा और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार संचालित होगी. **वर्तमान में ब्याज़ दर 3 महीने की अवधि वाले ट्रेजरी बिल और उस पर ऐप्लीकेबल स्प्रेड है (applicable spread)**. ब्याज़ दर की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर लागू दरों के अनुसार संप्रेषित की जाएगी.

ख) इसमें 90 दिनों की लॉक-इन अवधि होगी और ब्याज त्रैमासिक अंतराल पर देय होगा। बैंकों के पास 90 दिनों के बाद ऋण चुकाने या पुनर्निर्धारण के समय प्रचलित ब्याज दर को जारी रखने की सुविधा होगी.

ग) संवितरण के 91 वें दिन आरओआई रीसेट कर दिया जाएगा

5.2 चूक की स्थिति में दंडात्मक ब्याज

वे राज्य सहकारी बैंक जो निर्धारित देय तिथियों तक मूलधन की चुकौती, ब्याज और / या अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहते हैं, वे नाबार्ड से किसी भी प्रकार की पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे. बैंक द्वारा चूक को समाप्त करने के बाद ही पुनर्वित्त पुनः दिए जाने पर विचार किया जा सकता है. चूक की स्थिति में, जिस ब्याज दर पर पुनर्वित्त वितरित किया गया था, उससे 2% प्रति वर्ष अधिक दंडात्मक ब्याज, चूक की राशि पर और उस अवधि के लिए जिसके लिए चूक बनी रहती है, वसूल किया जाएगा. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

6. चुकौती

6.1 **अस्थिर दर**: यदि कोई चुकौतियाँ की जानी हों तो, 90 दिनों की लॉक-इन अवधि के पश्चात, न्यूनतम तीन दिन का नोटिस देने के बाद ऐसा किया जा सकता है.

6.2 **चुकौती की अवधि:** ब्याज की चुकौती तिमाही आधार पर की जाएगी जिसमें देय तिथि 01जुलाई, 01अक्तूबर, 01 जनवरी और 01अप्रैल होंगी. अगर ब्याज़ के लिए देय तिथि को अवकाश है तो इसका भुगतान अगले कार्य-दिवस को किया जाएगा. .

6.3 प्रत्येक किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर देय होगी। बैंकों के पास अब नाबार्ड को राशि भेजते समय उनके द्वारा बताई गई किसी भी किस्त को चुकाने का विकल्प होगा। पुनर्भुगतान करते समय, संवितरण पत्र में उल्लिखित खाता संख्या और अनुबंध संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि इसे इंगित नहीं किया गया है, तो किए गए पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को फर्स्ट आउट फर्स्ट इन के मूलधन पर समायोजित किया जाएगा.

6.4 पुनर्भुगतान के मामले में, उस निकासी से संबंधित संपूर्ण मूलधन और ब्याज चुकाना होगा। एक संवितरण के विरुद्ध आंशिक पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी.

7. परिचालनात्मक अनुशासन

7.1 निर्धारित सीमा से अधिक आहरण

फसल ऋण संवितरण या एनओडीसी के बारे में गलत डेटा की रिपोर्टिंग के कारण पुनर्वित्त की अनुमेय मात्रा से अधिक आहरण के मामले पर नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा. ऐसे मामलों में, नाबार्ड बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 3 दिनों के भीतर 1% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज के साथ वापस माँग सकता है.

7.2 गैर अतिदेय कवर

a. नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक को स्वीकृत सीमा पर आहरण की अनुमति पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (जिनके पास राज्य सहकारी बैंक से उधार बकाया है) से संबंधित कुल एनओडीसी (सामान्य सीमा के एनओडीसी सहित) के आधार पर दी जाएगी, तथापि, बैंकों को एनओडीसी की निगरानी करने की आवश्यकता होगी और समग्र एनओडीसी उपलब्ध होने पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा. राज्य सहकारी बैंक को अगले महीने की 20 तारीख तक प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मासिक एनओडीसी विवरण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक-वार स्थिति दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा.

b. प्रत्येक आहरण के समय, बैंक द्वारा आहरण की तिथि को कुल एनओडीसी (मौजूदा आहरण को शामिल करते हुए) की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिन, कुल सामान्य अल्पावधि (मौकृप) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) बकाया उस तारीख को उपलब्ध कुल एनओडीसी से अधिक न हो.

7.3 एनओडीसी की कमी पर दंडात्मक ब्याज

एनओडीसी में कमी के मामले में, राज्य सहकारी बैंक को एनओडीसी में कमी को पूरा करना होगा. यदि राज्य सहकारी बैंक इस तरह की कमी के घटित होने की तारीख से एक महीने के भीतर कमी को पूरा करने में विफल रहता है, तो 1% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज एनओडीसी में कमी की राशि पर, कमी की अवधि के लिए यानी उस तारीख तक प्रभारित किया जाएगा जब तक कमी की राशि को नियमित नहीं किया जाता है. हालाँकि समग्र एनओडीसी उपलब्ध होने पर कोए अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा.

7.4 बकाया ऋणों में मूलधन और ब्याज का पृथक्करण

राज्य सहकारी बैंक बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय/गैर-अतिदेय ब्याज) को अलग करके रखें और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्रता निर्धारण के लिए, ऋण सीमा और आहरण आवेदन दोनों में केवल मूल ऋण राशि का उल्लेख करें. इसके अलावा, मासिक एनओडीसी विवरण में ऋण के केवल मूलधन (जारी, वसूल, बकाया और अतिदेय) की सूचना दी जानी चाहिए.

7.5 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति चूक

यदि इस ऋण व्यवस्था के तहत कोई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लगातार 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए राज्य सहकारी बैंक के प्रति चूक करता है, तो संबंधित राज्य सहकारी बैंक को उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सीमा को परिचालित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि चूक को नियमित न किया जाए.

7.6 चूक की राशि की अदायगी

मूलधन की चुकौती, ब्याज के भुगतान और/ या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले राज्य सहकारी बैंक, नाबार्ड से किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र **नहीं** होंगे, जब तक कि संबंधित चूक दूर नहीं की जाती.

7.7 निरीक्षण का अधिकार

नाबार्ड सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक /पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों) के लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने/ करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

7.8 विशेष लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार

नाबार्ड के पास स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से सहकारी बैंकों के खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि बैंक द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है और पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है.

7.9 अन्य

अल्पावधि (मौकृप) के तहत पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए लागू अन्य सभी नियम और शर्तें अतिरिक्त अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त पर भी लागू होंगी.

****